(4)

दूरभाष (का0) : 0135–2676260
फैक्स : 0135–2676177
ई–मेल : gmho-ujs-uk@nic.in

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान
'जल भवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून

पत्रांक: 682 /सेवा का अधिकार/2023–24 दिनांक 29/4/23

सेवा में

अनु सचिव
सूचना प्रौद्यौगिकी सूराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
अनु0–03, उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।

विषयः– सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवाएं अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पत्र संख्या 897/21–18(12)/2021 दिनांक 16.09.2021 एवं सचिव सू0पो0,सुराज एवं वि0पौ0 की अध्यक्षता में दिनांक 27–04–2023 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशो के अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अन्तर्गत विभागों की सेवाओं को अधिसूचित किये जाने का प्राविधान है। आई0टी0डी0ए0 द्वारा आयोग को पेयजल विभाग की कुल 07 सेवाओं (सूची संलग्न) की सूची उपलब्ध करायी गयी है। उक्त सेवाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण/प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

1–<u>ऑनलाईन शिकायत (Online Complaint)</u>:– ऑनलाईन शिकायत हेतु विभाग द्वारा अपना ऑनलाईन सॉफ्टवेयर है। जिसके माध्यम से शिकायत प्राप्त होती है। और इसके लिये विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर युक्त केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्र भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु सी0एम हेल्पलाइन भी तैयार की गयी है जिससे शिकायत प्राप्त होती है। इस हेतु समय अवधि राज्य सरकार द्वारा 15 दिवस पूर्व में निर्धारित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सेवा के अधिकार में लिया जाना उचित नही होगा।

2– <u>नवीन जल सयोंजन/सीवर संयोजन हेतु भुगतान (New Connection Payment) एंव बिल भुगतान (Bill Payment)</u> :– नये जल सयोंजन/सीवर संयोजन के भुगतान एवं पेयजल/सीवर से सम्बन्धित बिलों के भुगतान हेतु विभाग द्वारा पूर्व से ही ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था की गयी है। जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा अपने नवीन जल सयोंजन तथा पेयजल सयोंजन/सीवर सयोंजन एवं नवीन जल सयोंजनों से सम्बन्धित बिलों का भुगतान किया जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा किये जा रहे भुगतान को सेवा के अधिकार के अन्तर्गत लिया जाना उचित नहीं होगा।

3–<u>पुर्नसंयोजन (Reconnect the Connection)</u>:– उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग की अधिसूचना संख्या 137/XXX(6)/ 2021–20(04)16 देहरादून दिनांक 02 मार्च 2021 द्वारा सेवा पूर्व में अधिसूचित है।

इसके अतिरिक्त सूची में प्रस्तावित शेष सेवाओं का विस्तृत विवरण/प्रस्ताव निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की स्तरवार समयसीमा		प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ जल संयोजन का आकार बदलना					
	(क)15 एम0एम0 से 40 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक/सम्बन्धित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	6 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत/अस्वीकृत			

GO 124714/E-17505/2023 XXXIV (3)/-20(02)21 देहरादून 25 मई 2023

(7)

	(ख) 50 एम0एम0 व्यास के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / सम्बन्धित कार्मिक	5 दिवस में अग्रसारित	30 दिन	महाप्रबन्धक	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियन्ता	11 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	5 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशासी अभियन्ता	5 दिवस में अग्रसारित			
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस में स्वीकृत / अस्वीकृत			
	(ग) 50 एम0एम0 व्यास से अधिक के जल संयोजन	राजस्व निरीक्षक / सम्बन्धित कार्मिक	5 दिवस में अग्रसारित	30 दिन	मुख्य महाप्रबन्धक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड जल संस्थान / सचिव पेयजल
		कनिष्ठ अभियन्ता	10 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	4 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशासी अभियन्ता	4 दिवस			
		अधीक्षण अभियन्ता	4 दिवस			
		महाप्रबन्धक	3 दिवस में स्वीकृत / अस्वीकृत			
2	जहाँ साध्य हो वहाँ जल संयोजन / सीवर संयोजन के उपयोग में परिवर्तन	राजस्व निरीक्षक / सम्बन्धित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियनता	6 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत / अस्वीकृत			
3	जहाँ साध्य हो वहाँ अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करना	राजस्व निरीक्षक / सम्बन्धित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियनता	6 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत / अस्वीकृत			
4	पेयजल अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र निर्गत करना	राजस्व निरीक्षक / सम्बन्धित कार्मिक	3 दिवस में अग्रसारित	15 दिन	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य महाप्रबन्धक
		कनिष्ठ अभियनता	6 दिवस में अग्रसारित			
		सहायक अभियन्ता	3 दिवस में अग्रसारित			
		अधिशासी अभियन्ता	3 दिवस में स्वीकृत / अस्वीकृत			

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सेवाओं को अधिसूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित करवाने का कष्ट करेंगें।

(सतेन्द्र कुमार गुप्ता)
सचिव प्रशासन

पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि :–1–सयुक्त सचिव पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2–उप सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, सेवा का अधिकार भवन, चालंग हिल्स, पो0ओ0–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

सचिव प्रशासन